न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 105/2016

1. शरद अरोड़ा
2. शेखर अरोड़ा

} पुत्रगण श्री औमप्रकाश अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासीगण मकान संख्या 78 बी ब्लाक जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. रामकिशन पुत्र श्री हजारी राम निवासी गली नम्बर 8 अम्बेडकर कालोनी बीकानेर।
2. राम नारायण पुत्र श्री हजारी राम निवासी गांव व पो. आ. 5 ई छोटी नाईयावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. विकास पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह मार्फत वी.डी. मोटर्स सूरतगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. बाबत खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप कुमार सिहाग अधिवक्ता — वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 09.12.2016
3. प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 21.09.2016
4. प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 10.01.2017

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.06.2017

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण नें खाता संख्या 119/132 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 10/4 में 0.51 हैक्टर 11 में 0.190, 12 ता 15 में 0.253 कुल 1.253 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है।

वादीगण द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 23.07.2014 को आदराम पुत्र हजारीराम की खातेदारी एवम् कब्जा शुद्धा 0.316 हैक्टर कृषि भूमि खरीद की गई जिका वर्तमान जमाबन्दी में इन्तकाल संख्या 541 दिनांक 05.08.2014 को दर्ज हो चुका है।

वादीगण के पक्ष में विक्रेता आदराम द्वारा अपनी कब्जाशुद्धा कृषि भूमि जो कि चक 5–ई छोटी, श्रीगंगानगर के खाता संख्या 119/132 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 में 0.102 हैक्टर (पूर्वी हिस्सा किला नम्बर 14 के साथ चिपती हुई) किला नम्बर 14 में 0.202 हैक्टर (पश्चिमी हिस्सा किला नम्बर 14 के साथ चिपती हुई) व किला नम्बर 13 में से मध्य की पश्चिमी हिस्सा 0.025 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा यानि कुल 0.316 हैक्टर भूमि का कब्जा सम्बंधित इकरार पत्र दिनांक 23.07.2014 को लिख कर दे दिया है।

वादीगण चक 5–छोटी के खाता संख्या 119/132 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 में 10 बिस्वा (पूर्वी हिस्सा किला नम्बर 14 के साथ चिपती हुई) किला नम्बर 14 में 16 बिस्वा (पश्चिमी हिस्सा किला नम्बर 14 के साथ चिपती हुई) पर खरीद की दिनांक से ही बिना विवाद के काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

वादीगण अपनी कृषि भूमि जो कि प्रतिवादीगण के साथ मुश्तर्का खाता में दर्ज है, जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन कब्जा अनुसार नहीं है। इस कारण वादीगण को लगान एवम् बैक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान प्राप्त करनें में कई प्रकार की कानूनी दिक्कते आती है। वादीगण अपनं कब्जा काश्त की कृषि भूमि में सुधार कार्य भी करवाना चाहते है। इसलिये वादीगण अपनी कब्जा शुद्धा भूमि का अंकन जरिये विभाजन राजस्व रिकार्ड में करवाना चाहते है।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण अपनें अपनें हक व हिस्सानुसार काबिज है व बिना किसी विवाद के अपनें हक व हिस्से के रकबे का उपयोग एवम् उपभोग करते आ रहे है। वादीगण नें कई बार प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि वे अपनें हिस्सा व कब्जा अनुसार किला विभाजन करवा लेवे। परन्तु प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे एवम् दिनांक 26.05.2016 को ऐसा करनें से स्पष्ट इन्कार हो गये यही वाद कारण वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करनें का प्राप्त हुआ है। वादीगण को रजिस्टर्ड बैयनामा के अनुसार खरीद शुद्धा कृषि भूमि का कब्जानुसार अपनें नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करनें का दावा प्रस्तुत करनें के अलावा अन्य कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं है। इसलिये वादीगण दावा पेश करनें के अधिकारी है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एवम् आज्ञाप्ति किया जावे :–

(क) वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित विवरण अनुसार वादीगण की कृषि भूमि का विभाजन किया जावे।

(ख) इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण का भी खाता विभाजन किया जावे व लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

(ग) खर्चा मुकद्मा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में उचित समझे प्रदान किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बाद तलबी उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की और से पैरोकार राज उपस्थित आये जबाब दावा पेश किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद में भूमि विवाद आपसी पक्षकारन के मध्य है राज्य सरकार की और से काई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किये जानें हेतु आवेदित है।

प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकीयात नहीं बनाई गई वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये जिसमें वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष अनुसार ही शपथ पत्र में अनुतोष चाहते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अनुतोष चाहा गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के कथनों को दौहराते हुए कथन किया गया कि वादीगण चक 5–छोटी के खाता संख्या 119/132 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 में 10 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

(पूर्वी हिस्सा किला नम्बर 14 के साथ चिपती हुई) किला नम्बर 14 में 16 बिस्वा (पश्चिमी हिस्सा किला नम्बर 14 के साथ चिपती हुई) पर खरीद की दिनांक से ही बिना विवाद के काबिज है। अतः कब्जा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन किया जावे व लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीगण को चक 5–छोटी के खाता संख्या 119/132 में 0.316 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व कब्जा के अनुसार मय नक्शा–वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुऐ तथा बैक ऋण के संबंध में विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमती जताते हुए विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी का हिस्से की भूमि का विभाजन करनें हेतु निवेदन किया।

अतः तहसीलदार द्वारा श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव तथा वादी की सहमती के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 5 ई छोटी के खाता संख्या 119/132 में वादी के हिस्सा की भूमि का विभाजन विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादीगण शरद अरोड़ा व शेखर अरोड़ा पुत्रगण श्री औमप्रकाश अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासीगण मकान संख्या 78 बी ब्लाक जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
2 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर	24	13/.114, 14/.202	0.316 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादी के हिस्सा की भूमि को अलग हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर